संख्या-78/2019/1106/सैंतीस-2-2019-1(72)/03टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-29 मई, 2019

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-120/पशुधन-2/22/1/4/2019-20, दिनांक-22.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-1200.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में रू0-750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
18-प्रकाशन	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	30.00
39-औषधि तथा रसायन	160.00
42-अन्य व्यय	40.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	**750.00**

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिला योजनाओं के जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
3. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
4. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
6. मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में स्वीकृत धनराशि से प्रथमतः उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्राज के लम्बित बीजकों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
7. विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
9. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-78/2019/1106(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-78/2019/1106/सैंतीस-2-2019-1(72)/03टीसी, दिनांक-29 मई, 2019 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2019-20) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.133	0.133	0.399	2.700	0.532	10.308	14.205
2	बागपत	0.133	0.133	0.399	2.434	0.532	2.200	5.831
3	गाजियाबाद	0.133	0.133	0.399	1.123	0.532	8.568	10.888
4	गौतमबुद्धनगर	0.133	0.133	0.399	1.030	0.532	7.271	9.498
5	बुलन्दशहर	0.133	0.133	0.399	3.370	0.532	10.705	15.272
6	हापुड़	0.133	0.133	0.399	1.622	0.532	5.154	7.973
7	सहारनपुर	0.133	0.133	0.399	2.590	0.532	8.227	12.014
8	मुजफ्फरनगर	0.133	0.133	0.399	3.200	0.532	8.623	13.020
9	शामली	0.133	0.133	0.399	2.400	0.532	6.046	9.643
10	मुरादाबाद	0.133	0.133	0.399	2.800	0.532	7.533	11.530
11	अमरोहा	0.133	0.133	0.399	1.997	0.532	5.344	8.538
12	रामपुर	0.158	0.158	0.474	1.404	0.532	11.763	14.489
13	बिजनौर	0.133	0.133	0.399	2.090	0.532	6.641	9.928
14	सम्भल	0.133	0.133	0.399	2.400	0.532	5.551	9.148
15	बरेली	0.133	0.133	0.399	2.059	0.632	6.542	9.898
16	बदायूं	0.133	0.133	0.399	2.215	0.532	7.038	10.450
17	शाहजहांपुर	0.133	0.133	0.399	1.872	0.532	5.947	9.016
18	पीलीभीत	0.133	0.133	0.399	1.404	0.532	4.460	7.061
19	अयोध्या	0.133	0.133	0.399	1.373	0.532	4.361	6.931
20	अम्बेडकर नगर	0.133	0.133	0.399	1.279	0.532	4.064	6.540
21	सुल्तानपुर	0.133	0.133	0.399	2.465	0.532	7.830	11.492
22	बाराबंकी	0.133	0.133	0.399	3.463	0.532	11.002	15.662
23	अमेठी	0.133	0.133	0.399	2.558	0.532	8.128	11.883
24	गोण्डा	0.133	0.133	0.399	2.122	0.532	6.740	10.059
25	बलरामपुर	0.133	0.133	0.399	1.186	0.532	2.500	4.883
26	बहराइच	0.133	0.133	0.399	2.028	0.532	6.443	9.668
27	श्रावस्ती	0.133	0.133	0.399	0.499	0.532	1.586	3.282
28	बस्ती	0.133	0.133	0.399	1.997	0.532	6.344	9.538
29	संतकबीर नगर	0.133	0.133	0.399	1.154	0.532	3.667	6.018
30	सिद्धार्थ नगर	0.133	0.133	0.399	1.903	0.532	4.900	8.000
31	गोरखपुर	0.133	0.133	0.399	3.276	0.532	4.000	8.473
32	महराजगंज	0.133	0.133	0.399	1.778	0.532	9.150	12.125
33	देवरिया	0.133	0.133	0.399	1.997	0.532	6.344	9.538
34	कुशीनगर	0.133	0.133	0.399	1.997	0.532	6.344	9.538
35	इलाहाबाद	0.133	0.133	0.399	4.680	0.532	15.868	21.745
36	कौशाम्बी	0.133	0.133	0.399	1.217	0.532	3.866	6.280

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

37	फतेहपुर	0.133	0.133	0.399	2.714	0.532	8.623	12.534
38	प्रतापगढ	0.133	0.133	0.399	3.151	0.532	7.500	11.848
39	झांसी	0.133	0.133	0.399	1.279	0.532	4.064	6.540
40	ललितपुर	0.133	0.133	0.399	1.591	0.532	5.055	7.843
41	जालौन	0.133	0.133	0.399	1.903	0.532	1.900	5.000
42	बांदा	0.133	0.133	0.399	1.342	0.532	4.262	6.801
43	चित्रकूट	0.133	0.133	0.399	0.905	0.532	0.500	2.602
44	हमीरपुर	0.133	0.133	0.399	1.373	0.532	9.361	11.931
45	महोबा	0.133	0.133	0.399	0.842	0.532	2.676	4.715
46	लखनऊ	0.133	0.133	0.399	2.434	0.532	6.200	9.831
47	उन्नाव	0.133	0.133	0.399	3.089	0.532	9.813	14.099
48	रायबरेली	0.133	0.133	0.399	2.402	0.532	7.632	11.231
49	हरदोई	0.133	0.133	0.399	3.307	0.532	10.507	15.011
50	सीतापुर	0.133	0.133	0.399	2.465	0.532	7.830	11.492
51	खीरी	0.133	0.133	0.399	2.309	0.532	7.335	10.841
52	आजमगढ	0.133	0.133	0.399	3.494	0.532	11.101	15.792
53	मऊ	0.133	0.133	0.399	1.841	0.532	0.900	3.938
54	बलिया	0.133	0.133	0.399	3.182	0.532	10.110	14.489
55	वाराणसी	0.133	0.133	0.399	1.061	0.532	2.500	4.758
56	जौनपुर	0.133	0.133	0.399	2.527	0.532	8.029	11.753
57	गाजीपुर	0.133	0.133	0.399	3.182	0.532	10.110	14.489
58	चन्दौली	0.133	0.133	0.399	1.217	0.532	3.866	6.280
59	मिर्जापुर	0.133	0.133	0.399	1.747	0.532	5.551	8.495
60	सोनभद्र	0.133	0.133	0.399	1.248	0.532	3.965	6.410
61	संतरविदास नगर	0.133	0.133	0.399	0.655	0.532	2.082	3.934
62	कानपुर नगर	0.133	0.133	0.399	3.494	0.532	11.000	15.691
63	कानपुर देहात	0.133	0.133	0.399	2.683	0.532	10.524	14.404
64	फर्रूखाबाद	0.133	0.133	0.399	1.654	0.532	10.253	13.104
65	इटावा	0.133	0.133	0.399	1.903	0.532	6.046	9.146
66	कन्नौज	0.133	0.133	0.399	1.092	0.532	5.475	7.764
67	औरैया	0.133	0.133	0.399	1.279	0.532	3.524	6.000
68	आगरा	0.133	0.133	0.399	2.371	0.532	12.033	15.601
69	मथुरा	0.133	0.133	0.399	2.371	0.532	7.533	11.101
70	मैनपुरी	0.133	0.133	0.399	2.402	0.532	2.400	5.999
71	फिरोजाबाद	0.133	0.133	0.399	2.650	0.532	7.913	11.760
72	कासगंज	0.133	0.133	0.399	1.217	0.532	2.500	4.914
73	एटा	0.133	0.133	0.399	2.278	0.532	7.234	10.709
74	अलीगढ	0.133	0.133	0.399	5.522	0.532	12.538	19.257
75	हाथरस	0.133	0.133	0.399	2.142	0.532	8.497	11.836
योग-		**10.000**	**10.000**	**30.000**	**160.000**	**40.000**	**500.000**	**750.000**

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in